Bill No. 29 of 2018

THE RAJASTHAN FOREST (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Forest Act, 1953

.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Forest (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 13 of 1953.- In clause (9) of section 2 of the Rajasthan Forest Act, 1953 (Act No. 13 of 1953), the existing expression "bamboos," shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India has decided to promote the growth of bamboo and other major agro-forestry tree species outside the forest area and to remove difficulties in felling and inter-state transit/movement of bamboos. In this context, the Government of India has enacted the Indian Forest (Amendment) Act, 2017 for omission of word "bamboos" from the definition of "tree" so that bamboos grown outside various forest area would not be considered as "tree" and "forest produce", and permission for felling and transit permit for the bamboos growing outside various forest area will not be required. Accordingly, it is proposed that the existing word "bamboos" in clause (9) of section 2 of the Rajasthan Forest Act, 1953 may also be deleted.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
Hence the Bill.

———————

गजेन्द्र सिंह,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM
THE RAJASTHAN FOREST ACT, 1953

(Act No. XIII of 1953)

XX XX XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(1) to (8) xx xx xx xx xx xx xx

(9) "trees" includes palms, bamboos, stumps, brushwood and canes.

XX XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2018 का विधेयक सं.29

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 2 के खण्ड (9) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बांस," हटायी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने वन क्षेत्र के बाहर बांस और अन्य मुख्य कृषि वानिकी वृक्ष प्रजातियों की वृद्धि को बढ़ावा देने तथा बांस की कटाई और बांस के अन्तरराज्यिक अभिवहन/संचलन में कठिनाइयों का निराकरण करने का विनिश्चय किया है। इसी संदर्भ में, "वृक्ष" की परिभाषा से "बांस" शब्द का लोप करने के लिए, भारत सरकार ने भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया है ताकि विभिन्न वन क्षेत्रों के बाहर उगे हुए बांस को "वृक्ष" और "वन उपज" के रूप में नहीं माना जाये और विभिन्न वन क्षेत्रों के बाहर उगे हुए बांस की कटाई और अभिवहन के अनुज्ञापत्र के लिए अनुज्ञा अपेक्षित न हो। तदनुसार, यह प्रस्तावित है कि राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 2 के खण्ड (9) में से भी विद्यमान शब्द "बांस" को हटा दिया जाये।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

———————

गजेन्द्र सिंह,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ से विरुद्ध न हो,-

(1) से (8) XX XX XX XX XX

(9) "वृक्ष" के अन्तर्गत ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़-झाखड़ और बेत आते हैं।

XX XX XX XX XX

2018 का विधेयक सं. 29

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(गजेन्द्र सिंह, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 29 of 2018

THE RAJASTHAN FOREST (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Forest Act, 1953.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(Gajendra Singh**, Minister-Incharge**)